प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– /प्र0क0–2/2022–23 लखनऊ: दिनांक: 22 अप्रैल, 2022

विषय– प्रदेश में जनोपयोगी एवं बहुमूल्य संदेश देने वाली फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (राज्य कर) के समतुल्य धनराशि की मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर के लाइसेंसी को प्रतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया समविषयक सन्दर्भ में जारी शासनादेश संख्या–612/11–6–2017–एम (43)/17 दिनांक–09.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके क्रम में जनोपयोगी एवं बहुमूल्य संदेश देने वाली फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश पर देय राज्य कर से छूट के सम्बन्ध में जारी पृथक–पृथक शासनादेश के क्रम में मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर के लाइसेंसी को प्रतिपूर्ति की धनराशि के आगणन एवं प्रतिपूर्ति किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–1684 दिनांक–14.08.2017 एवं प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कठिनाईयों के निवारण हेतु पत्र संख्या–4723/प्र.क–2/2017–18 दिनांक–22.03.2018 से संसूचित किया गया था। अग्रेत्तर शासनादेश संख्या–690/11–6–2018–एम(58)/2017 दिनांक–03.12.2018 से प्रतिपूर्ति की सीमा एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

दिनांक–01.07.2017 से जी0एस0टी0 की कर प्रणाली लागू होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जनोपयोगी एवं संदेश देने वाली फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश हेतु कतिपय शर्तों के अधीन देय राज्य कर के अंश की छूट दर्शकों को दी जाती है जिसकी प्रतिपूर्ति किये जाने में फील्ड स्तर पर प्रतिपूर्ति के आगणन के दावों एवं उसके सत्यापन में एकरुपता बनाये रखने के उद्देश्य से निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

1. शासनादेश दिनांक–09.08.2017 के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनोपयोगी एवं बहुमूल्य संदेश देने वाली घोषित फिल्मों का प्रदर्शन करने वाले मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों को राज्य कर की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक प्रदर्शन/शो की समाप्ति से पूर्व इसके निमित्त बिक्री किये गये टिकटों से प्राप्त प्रतिफल एवं देय राज्य कर का विवरण निम्नांकित प्रारुप–1 में तैयार करते हुए अपने अभिलेखों में अभिरक्षित किया जायेगा तथा ऐसे प्रदर्शन की तिथि से प्रत्येक सप्ताहान्त के तीन कार्यदिवस के अन्दर निम्नांकित प्रारुप–2 में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (प्रान्तीय अधिनियम) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक ही जनपद में कई स्क्रीन पर अथवा एक से अधिक जनपदों में स्क्रीन पर उक्त श्रेणी के फिल्मों का प्रदर्शन किये जाने की स्थिति में जनपदवार एवं स्क्रीनवार (ऑडीवार) विवरण निर्धारित प्रारुपों 1 व 2 में तैयार करते हुए अभिरक्षित एवं सम्बन्धित प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रारुप–01 प्रत्येक प्रदर्शन हेतु निर्धारित प्रपत्र

पंजीकृत व्यक्ति का नाम	
पजीकृत व्यक्ति का GSTIN	
सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स का नाम व पता (ऑडी संख्या)	
फिल्म का नाम	
शासनादेश संख्या / दिनांक	
प्रदर्शन का दिनांक	
प्रदर्शन / शो का समय	

क्र0सं0	टिकट दर	कुल दर्शक	सेवा आपूर्ति की धनराशि	दर्शक से वसूल न किया गया देय राज्य कर

प्रारुप–02 साप्ताहिक विवरण प्रपत्र

पंजीकृत व्यक्ति का नाम	
पंजीकृत व्यक्ति का GSTIN	
सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स का नाम व पता (ऑडी संख्या)	
फिल्म का नाम	
शासनादेश संख्या / दिनांक	
प्रदर्शन की अवधि	दिनांक————से ————तक

क्र0सं0	टिकट दर	कुल दर्शक	सेवा आपूर्ति की धनराशि	दर्शक से वसूल न किया गया देय राज्य कर
1	2	3	4	5
योग				

2. उपर्युक्त सुसंगत शासनादेश से अनुमन्य राज्य कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति का दावा संगत मास / त्रैमास हेतु प्रान्तीय अधिनियम के अन्तर्गत देय मासिक / त्रैमासिक रिटर्न FORM GSTR-3B दाखिल करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निम्न प्रारुप–3 के साथ निर्धारित प्रारुप में स्वतः घोषणा अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रारुप—03 प्रतिपूर्ति के दावे का प्रारुप

पंजीकृत व्यक्ति का नाम	
पजीकृत व्यक्ति का **GSTIN**	
फिल्म का नाम	
शासनादेश संख्या / दिनांक	
प्रदर्शन की अवधि	दिनांक————से ————तक
बैंक खाता संख्या / बैंक व शाखा का नाम / **IFSC Code**	

क्र0 सं0	जनपद	सिनेमाघर / मल्टीप्लेक्स का नाम एवं ऑडी सं0	संगत मास / त्रैमास हेतु दाखिल **GSTR-3B** में घोषित कर योग्य आउटवर्ड आपूर्ति की धनराशि	प्रतिपूर्ति हेतु अनुमन्य कर योग्य आउटवर्ड आपूर्ति की धनराशि	दर्शक से वसूल न किये गये एवं प्रतिपूर्ति योग्य देय राज्य कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6
योग					

घोषणा / प्रमाण पत्र

मैं एतदद्वारा घोषणा / प्रमाणित करता हूँ कि प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रस्तुत प्रारुप—3 में अंकित विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है तथा व्यापार के क्रम में रखे जाने वाले अभिलेखों से सत्यापित हैं। संगत माह / त्रैमास में प्रतिपूर्ति योग्य सेवा की आपूर्ति की धनराशि को FORM GSTR-3B में कर योग्य आऊटवर्ड आपूर्ति की प्रदर्शित धनराशि में सम्मिलित किया गया है।

हस्ताक्षर (मुहर सहित)
पंजीकृत व्यक्ति / अधिकृत
व्यक्ति / चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

03. सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिपूर्ति के दावे का सत्यापन मनोरंजन के कार्यो हेतु नामित अधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा। प्रतिपूर्ति का दावा प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर नामित अधिकारी द्वारा प्रारुप—02 में प्राप्त सूचनाओं का मिलान प्रारुप—03 में प्राप्त सूचनाओं से किया जायेगा तथा जनपद में स्थित वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय से सम्पर्क करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रारुप—03 के कॉलम—6 में राज्य कर की प्रतिपूर्ति के दावे की सकल धनराशि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संगत

मास / त्रैमास हेतु दाखिल FORM GSTR-3B के बिन्दु–6 में देय राज्य कर की धनराशि से अधिक नहीं है।

04. नामित अधिकारी द्वारा उपर्युक्तानुसार सत्यापन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर प्रतिपूर्ति विषयक आदेश का आलेख जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत आदेश की मूल प्रति अगले कार्यदिवस में जनपद के वाणिज्य कर विभाग के आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त होने के तीन कार्यदिवस के अन्दर प्रतिपूर्ति की स्वीकृत धनराशि को लाभार्थी के बैंक खाते में अन्तरित किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराते हुए जनोपयोगी एवं बहुमूल्य संदेश देने वाली फिल्मों कों संचालित करने वाले मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के लाइसेंस धारकों को प्रतिपूर्ति कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त। 108

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर, मुख्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4. समस्त जनपदीय प्रभारी अधिकारी (मनोरंजन से सम्बन्धित कार्य) को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया से मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर संचालकों को अवगत करायें।
5. ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

22/04/2022

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।